न्यायालय उपजिला कलेक्टर टोडाभीम, जिला करौली राज.

मु.नं.:- 12 / 2025 तारीख रजू :- 21.04.2025

पीठासीन अधिकारी :- पूजा मीना आर.ए.एस.

1. अख्तार पुत्र समसार
2. अख्तरी पुत्री समसार
3. भूरा पुत्र समसार
4. भूरी उर्फ शकीला पुत्री समसार
5. रबीना पुत्री समसार

} समस्त जाति मुसलमान, निवासी बालघाट, जिला करौली (राज0)

प्रार्थीगण

बनाम

तहसीलदार तहसील बालघाट जिला करौली (राज0)

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत् इन्द्राज दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम

उपस्थित :- 1 श्री हंसराम गुर्जर एडवोकेट प्रार्थी

2 पैरोकार सरकार तहसीलदार बालघाट अप्रार्थी

निर्णय दिनांक- 21.08.2025

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि हाल खसरा नम्बर 417 रकबा 0.95 [illegible] जिला करौली (राज0) है जिसमें प्रार्थीगण सम्पूर्ण [illegible] काश्तकार है। उक्त खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बर 241 [illegible] किया है। सेटलमेन्ट के दौरान नवीन नक्शा ट्रेस के अनुसार तैयार किया ग[illegible]था व साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार तैयार न करे साबिक नक्शा सीट व मौके के विपरीत तैयार किया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

है जिससे प्रार्थीगण का रकवा भी कम हो गया है तथा प्रार्थीगण के कब्जे काश्त व खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 417 के पडौसियो की सीमाऐं आ गई है। इसलिये भूमि खसरा नम्बर 417 के नवीन ट्रेस को साबिक खसरा नम्बर 241 के नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त किया जाना आवश्यक है, जबकि भूप्रबन्ध विभाग को ऐसा करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं था।

प्रार्थीगण ने दिनांक 02.03.2025 को जब बैंक से ऋण लेने हेतु जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस निकलवाये तथा हल्का पटवारी के पास ऋण हेतु पत्रावली बनवाने गये तब जाकर प्रार्थीगण को उक्त गलत इन्द्राज का पता चला। पता चलते ही प्रार्थीगण तहसील बालघाट में गये और तहसीलदार बालघाट से राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस में हुई उक्त गलती को दुरूस्त करने का निवेदन किया लेकिन तहसीलदार जी ने मना कर दिया तथा कहा कि भूप्रबन्ध से पूर्व का मामला है इसलिये न्यायालय में कार्यवाही करो, जिस कारण यह प्रार्थना पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण इन्द्राज दुरूस्ती डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड नक्शा ट्रेस बालघाट में स्थित भूमि खसरां नम्बर 417 के नवीन ट्रेस को साबिक खसरा नम्बर 241 के नक्शा सीट के अनुसार दुरूस्त करने के आदेश तहसीलदार बालघाट को करने हेतु निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये सम्मन तलब किया गया है अप्रार्थी की ओर से पैरोकार उपस्थित हुये, पैराकार सरकार की ओर से जबाव प्रस्तुत किया कि ग्राम बालघाट के हाल खसरा नम्बर 417 रकवा 0.33 है0 व साबिक खसरा नम्बर 241 रकवा 01 बीघा 06 विस्वा, दोनों के नक्शा सीट से ट्रेस बनाकर उपर नीचे रखकर मिलान किया गया जो कि लगभग सही पाया गया। हाल व साबिक दोनों ही नम्बरों का रकवा भी सही पाया गया। हाल खसरा नम्बर 417 रकवा 417 रकवा 0.33 है0 को मौके पर पैमाईश की गई। मौके पर खसरा नम्बर 417 का रकवा लगभग 0.36 है0 पाया गया जो मुताबिक राजस्व रिकार्ड 0.03 है0 अधिक है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested

मैने अधिवक्तागण की बहस सुनी। अधिवक्ता वादी अधिवक्ता द्वारा अपने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि खसरा नम्बर का साबिक खसरा नम्बर 241 रकवा 01 बीघा 6 विस्वा है। सेटलमेन्ट के

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

दौरान नवीन नक्शा ट्रेस के अनुसार तैयार किया गया था व साबिक नक्शा ट्रेस के अनुसार तैयार न करे साबिक नक्शा सीट व मौके के विपरीत तैयार किया गया है जिससे प्रार्थीगण का रकबा भी कम हो गया है पैरोकार तहसीलदार द्वारा अपने जबाब के कथनो का दोहराते हुए कथन किया कि दोनों के नक्शा सीट से ट्रेस बनाकर उपर नीचे रखकर मिलान किया गया जो कि लगभग सही पाया गया। हाल व साबिक दोनों ही नम्बरों का रकबा भी सही पाया गया।

मैने प्रार्थी वकील व पैरोकार सरकार की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया। तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि ग्राम बालघाट के हाल खसरा नम्बर 417 रकवा 0.33 है0 व साबिक खसरा नम्बर 241 रकवा 01 बीघा 06 बिस्वा, दोनों के नक्शा सीट से ट्रेस बनाकर उपर नीचे रखकर मिलान किया गया जो कि लगभग सही पाया गया। हाल व साबिक दोनों ही नम्बरों का रकबा भी सही पाया गया। उक्त प्रकरण 136 के क्षेत्राधिकार से परे होने तथा तहसीलदार बालघाट की रिपोर्ट के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय दिनांक 21.08.2025 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया

(पूजा मीना)
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम जिला करौली

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
टोडाभीम, जिला-करौली

Signature Not Verified

Digitally signed by Pooja Meena
Date: 2025.10.27 14:44:54 IST
Reason: SelfAttested